भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3017

11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद

3017. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा विभिन्न राज्यों से खरीदी जाने वाली मोटे अनाज, वाणिज्यिक फसलों और गैर-खाद्य फसलों सहित फसलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान खरीदी गई फसल की कुल मात्रा और खर्च की गई कुल कुल राशि का वर्ष-वार, फसल-वार और छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा माल ढुलाई लागत को कम करने और रेलवे की मालगाड़ियों के माध्यम से अनाज की कुशल आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संभार तंत्र संबंधी विसंगतियों को दूर करने, लदान सुविधाओं को उन्नत करने और आधुनिक अनुकूलन मॉडल अपनाने के लिए किए किए गए व्यापक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2026 के लिए छत्तीसगढ़ हेतु आवंटित खाद्यान्न और अन्य फसलों के अनुमानित कोटे का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के लिए एफसीआई के गोदामों की क्षमता का ब्यौरा क्या है है और निर्माणाधीन गोदामों की राज्य-वार संख्या कितनी है और गोदामों की कमी का प्रतिशत कितना है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): भारत सरकार की नोडल केंद्रीय एजेंसी, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं और धान की खरीद करती है। किसानों से खाद्यान्न की खरीद मुख्य रूप से राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाती है और एमएसपी संचालन में एफसीआई की भूमिका नगण्य है।

राज्य सरकारों/राज्य एजेंसियों द्वारा विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) प्रणाली के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मोटे अनाज/मिलेट्स की खरीद की जाती है तथा राज्य सरकार के प्रस्ताव एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के अनुमोदन के आधार पर इसे केंद्रीय पूल में शामिल किया जाता है।

...2/-

(ख): धान, गेहूं और मोटे अनाज की खरीद और एमएसपी मूल्य से संबंधित पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के राज्यवार आंकड़े क्रमशः **अनुबंध-क, अनुबंध-ख** और **अनुबंध-ग** के रूप में संलग्न हैं।

(ग): एफसीआई द्वारा बहु-मार्गीय रूप से खाद्यान्न संचलन का कार्य रेल (80% से अधिक), सड़क (लगभग 18-19%) और शेष जलमार्गों के माध्यम से किया जाता है। अंतर-राज्यीय संचलन योजना मासिक आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें अधिशेष क्षेत्रों में स्टॉक की उपलब्धता, कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यक मात्रा, संभावित खरीद, क्षेत्रों में रिक्त भंडारण क्षमता, खाद्यान्न का मासिक आवंटन/उपभोग आदि कारकों को ध्यान में रखा जाता है। रेलवे को अगले महीने के लिए रेकों की संचलन आवश्यकता के बारे में अग्रिम सूचना पिछले महीने में दी जाती है।

है।

उचित योजना के माध्यम से एफसीआई ने देश भर के सभी राज्यों में पर्याप्त अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

हालांकि, रेलवे स्टेशनों पर मार्ग/टर्मिनल संबंधी प्रतिबंध, अवसंरचनात्मक कमियां आदि जैसे परिचालन/विविध मुद्दों को एफसीआई द्वारा नियमित रूप से जमीनी स्तर पर और साथ ही संबंधित रेलवे प्राधिकरण के मुख्यालय/अंचल/क्षेत्रीय स्तर पर जेसीसी/आईएमसी की बैठकों में उठाया जा रहा है।

फरवरी 2023 के दौरान, डीएफपीडी ने खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय और आंतरिक संचलन के मार्ग अनुकूलन अध्ययन को प्रायोजित करने हेतु आईआईटी दिल्ली के एफआईटीटी (फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) को नियुक्त किया। अंतर-राज्यीय मार्ग अनुकूलन अध्ययन के एक भाग के रूप में, एफआईटीटी ने दैनिक रेक नियोजन उपकरण विकसित किया है, है, जो आरंभ से अंत तक माल ढुलाई की जानकारी प्राप्त करने के लिए एफओआईएस (रेलवे पोर्टल) के साथ एकीकृत है।

उक्त पोर्टल का उपयोग कमी वाले और प्रेषण करने वाले क्षेत्रों/प्रभागों द्वारा क्रमशः वस्तु-वार मांग और आपूर्ति की मांग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और उसके बाद दैनिक आधार पर न्यूनतम माल भाड़ा आधारित मूल-गंतव्य स्थान सृजित करने के लिए किया जाता है।

एफसीआई ने उक्त पोर्टल/टूल का कार्यान्वयन फरवरी 2025 से शुरू किया और यह वर्तमान में परीक्षण चरण में है।

(घ): छत्तीसगढ़ सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत वित्त वर्ष 2025-2026 (जनवरी 2026 तक) के लिए 1153.380 हजार टन चावल आवंटित किया गया है।

(ङ): एफसीआई मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) संचालन के लिए और बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए खरीद के बाद गेहूं और चावल का भंडारण करता है। दिनांक 01.02.2026 तक, एफसीआई के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 470.67 लाख टन (स्वामित्व (स्वामित्व वाली- 147.20 लाख टन + किराए पर ली गई - 323.47 लाख टन) है और देश भर में केंद्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण के लिए राज्य एजेंसियों के पास 381.92 लाख टन की भंडारण क्षमता उपलब्ध है। राज्यवार विवरण (साइलो सहित) **अनुबंध-I** में संलग्न है।

एफसीआई में भंडारण क्षमता की आवश्यकता मुख्य रूप से चावल और गेहूं के लिए खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) संचालन पर निर्भर करती है। एफसीआई निरंतर भंडारण क्षमता का आकलन और निगरानी करता है और भंडारण अंतर आकलन के आधार पर, निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमता में वृद्धि की जाती है:

- निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
- पीपीपी मॉडल के तहत साइलो का निर्माण
- केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) 2017-25
- परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण
- सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना
- निजी भंडारण योजना (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदाम किराए पर लेना

देश में कुशल भंडारण प्रणाली विकसित करने के लिए भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित निम्नलिखित प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं:

पीईजी योजना 2008/09: पीईजी योजना के तहत, निजी निवेश को आकर्षित करते हुए 24 राज्यों में पारंपरिक गोदामों का निर्माण किया गया है। पीईजी योजना 2008 में शुरू की गई थी। थी। दिनांक 01.02.2026 तक गोदामों के लिए स्वीकृत कुल क्षमता 151.58 लाख टन है। इसमें से 148.61 लाख टन का निर्माण पूरा हो चुका है। **अनुबंध-II**

पीईजी योजना II (सीएपी चरणबद्ध समाप्ति): गेहूं उत्पादक राज्यों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में, खुली भंडारण क्षमता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए पंजाब और हरियाणा में नई क्षमता स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत पंजाब में 60 लाख टन और हरियाणा में 30 लाख टन की क्षमता की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, हरियाणा और पंजाब में निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

स्वीकृत क्षमता 60.5 लाख टन में से, 7.08 लाख टन क्षमता के लिए दरें अनुमोदित हो चुकी हैं, हैं, 3.74 लाख टन क्षमता निर्माणाधीन है और 3.34 लाख टन क्षमता का शुभारंभ अभी बाकी है। **अनुबंध-III और IV**

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए संशोधित पीईजी योजना: पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों में नई क्षमताएं क्षमताएं सृजित करने के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने हेतु पीईजी योजना में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों द्वारा 4.32 लाख टन भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। इनमें से, एचएलसी ने दिनांक 30.01.26 को आयोजित अपनी बैठक में मेघालय में 25,000 टन (4 स्थानों) भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए दरों को अनुमोदन दिया है। शेष क्षमता निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है।

पीपीपी मोड के तहत साइलो का निर्माण: भंडारण सुविधाओं को उन्नत और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने पीपीपी मोड के तहत देश भर में साइलो के निर्माण को अनुमोदन दिया है।

तदनुसार, 57 स्थानों पर 32.25 लाख टन क्षमता वाले साइलो का निर्माण पूरा हो चुका है और 78 स्थानों पर 32.375 लाख टन क्षमता वाले साइलो का निर्माण कार्य चल रहा है।

इसके अलावा, हब एंड स्पोक मॉडल के चरण-2 में, एफसीआई ने डीबीएफओओ मोड के तहत 17 बंडलों/परियोजनाओं में 54 स्थानों पर 25.125 लाख टन साइलो के लिए निविदाएं प्रदान कीं।

विवरण **अनुबंध V, VI, VII और VIII** में संलग्न हैं।

पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) मोड के तहत साइलो का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पूंजीगत व्यय निजी पक्षों द्वारा किया जाता है और किराए का भुगतान एफसीआई द्वारा किया जाता है।

केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस): गोदामों के विस्तार के लिए, केंद्रीय क्षेत्र योजना (2017-25) के तहत, मंत्रालय ने 24 स्थानों (पूर्वोत्तर में 15 और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में 9) पर गोदामों के निर्माण को अनुमोदन दिया था, जिनकी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कुल क्षमता 1,05,890 टन और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में 54,760 टन थी।

इस योजना के अंतर्गत, एफसीआई द्वारा दिनांक 01.04.2017 से 01.02.2026 तक कुल 1,23,970 टन (पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 72,550 टन और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में 51,420 टन) की क्षमता सृजित की गई है। इस योजना के अंतर्गत निर्मित और निर्माणाधीन गोदामों का विवरण **अनुबंध-IX** में संलग्न है।

इसके अलावा, एफसीआई द्वारा गोदामों का निर्माण बीआईएस मानकों, सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी मैनुअल के अनुसार किया जाता है ताकि एकरूपता, सुरक्षा और स्थापित इंजीनियरिंग प्रथाओं के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण: केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार, श्रेणी 'क' परिसंपत्तियों के अंतर्गत परिसंपत्ति परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना के तहत पारंपरिक गोदामों के निर्माण के लिए कुल 177 स्थान (17.34 लाख टन) चिन्हित किए गए थे। इनमें से 91 स्थानों (9.33 लाख टन) के लिए निविदाएं निविदाएं जारी की जा चुकी हैं और 58,950 टन क्षमता का अधिग्रहण पहले ही हो चुका है। शेष क्षमता निर्माण/निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है। **अनुबंध-X, XI और XII**

*****

अनुबंध क

लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3017 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

धान की खरीद और एमएसपी मूल्य

आंकड़े लाख टन में, एमएसपी मूल्य करोड़ रुपये में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केएमएस 2020-21		केएमएस 2021-22		केएमएस 2022-23		केएमएस 2023-24		केएमएस 2024-25		केएमएस 2025-26*	
		खरीद	एमएसपी मूल्य	खरीद	एमएसपी मूल्य	खरीद	एमएसपी मूल्य	खरीद	एमएसपी मूल्य	खरीद	एमएसपी मूल्य	खरीद	एमएसपी मूल्य
1	आंध्र प्रदेश	84.57	15966.82	66.58	13049.68	41.12	8470.72	30.43	6703.73	38.21	8864.72	40.86	9761.45
2	तेलंगाना	141.09	26637.79	110.35	21628.60	131.86	27163.16	95.32	20999.00	100.44	23302.08	53.67	12821.76
3	असम	2.11	398.37	5.66	1109.36	5.98	1231.88	3.94	867.98	8.50	1972.00	1.89	451.52
4	बिहार	35.59	6719.39	44.90	8800.40	42.05	8662.30	30.80	6785.24	39.22	9099.04	30.60	7310.34
5	छत्तीसगढ़	71.08	13419.90	92.01	18033.96	87.53	18031.18	114.24	27290.76	116.42	27009.44	108.95	26028.16
6	गुजरात	1.10	207.68	1.22	239.12	1.77	364.62	0.85	187.26	0.35	81.20	0.67	160.06
7	हरियाणा	56.55	10676.64	55.32	10842.72	59.36	12228.16	58.94	12984.48	53.99	12525.68	53.68	12824.15
8	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.28	54.88	0.14	28.84	0.23	50.67	0.37	85.84	0.21	50.17
9	झारखंड	6.29	1187.55	7.53	1475.88	1.72	354.32	0.74	163.02	2.06	477.92	0.43	102.73
10	जम्मू एवं कश्मीर	0.38	71.74	0.41	80.36	0.34	70.04	0.24	52.87	0.33	76.56	0.50	119.45
11	कर्नाटक	2.06	388.93	2.19	429.24	0.21	43.26	0.00	0.00	0.01	2.32	0.06	14.33
12	केरल	7.65	1444.32	7.48	1466.08	7.31	1505.86	5.59	1231.48	5.81	1347.92	1.39	332.07
13	मध्य प्रदेश	37.27	7036.58	45.83	8982.68	46.30	9537.80	42.16	9287.85	43.42	10073.44	51.75	12363.08
14	महाराष्ट्र	18.99	3585.31	18.32	3590.72	18.48	3806.88	11.64	2564.29	15.93	3695.76	9.07	2166.82
15	ओडिशा	77.33	14599.90	71.04	13923.84	79.16	16306.96	70.89	15617.07	85.55	19847.60	67.35	16089.92
16	पंजाब	203.11	38347.17	187.55	36759.80	182.29	37551.74	185.53	40872.26	173.59	40272.88	156.69	37433.24
17	राजस्थान	0.00	0.00	0.07	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	तमिलनाडु	44.90	8477.12	27.58	5405.68	33.84	6971.04	34.96	7701.69	47.99	11133.68	23.53	5621.32
19	उत्तर प्रदेश	66.84	12619.39	65.53	12843.88	65.50	13493.00	53.80	11852.14	57.71	13388.72	62.31	14885.86
20	उत्तराखंड	10.72	2023.94	11.56	2265.76	8.96	1845.76	7.30	1608.19	6.73	1561.36	7.50	1791.75
21	पश्चिम बंगाल	27.79	5246.75	35.31	6920.76	32.08	6608.48	24.69	5439.21	29.28	6792.96	21.06	5031.23
22	एनईएफ	0.24	45.31	0.58	113.68	0.45	92.70	0.32	70.50	0.36	83.52	0.15	35.84
23	पुद्दुचेरी	0.00	0.00	0.003	0.59	0.001	0.16	0.002	0.44	0.001	0.23	0.00	0.02
	कुल	**895.66**	**169100.61**	**857.30**	**168030.80**	**846.45**	**174368.70**	**772.61**	**172329.68**	**826.27**	**191694.64**	**692.32**	**165395.25**

***केएमएस 2025-26 (खरीफ) प्रगति पर है। आंकड़ा दिनांक 02.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार**

नोट- केंद्रीय पूल में तेलंगाना राज्य में 131.86 लाख टन धान की खरीद की गई है, हालांकि तेलंगाना सरकार ने केएमएस 2022-23 (रबी) के 38 लाख टन धान की नीलामी की, जिसे डीएफपीडी ने दिनांक 29.04.2024 के पत्र द्वारा अनुमोदित किया था।

अनुबंध ख

लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3017 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गेहूं की खरीद और एमएसपी मूल्य

आंकड़े लाख टन में, एमएसपी मूल्य करोड़ रुपये में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरएमएस 2020-21		आरएमएस 2021-22		आरएमएस 2022-23		आरएमएस 2023-24		आरएमएस 2024-25		आरएमएस 2025-26	
		खरीद	एमएसपी मूल्य	खरीद	एमएसपी मूल्य	खरीद	एमएसपी मूल्य	खरीद	एमएसपी मूल्य	खरीद	एमएसपी मूल्य	खरीद	एमएसपी मूल्य
1	बिहार	0.05	9.63	4.56	900.60	0.03	8.06	0.01	2.13	0.10	22.75	0.18	43.65
2	गुजरात	0.77	148.23	1.71	337.73	0.0001	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	9.70
3	हरियाणा	74.00	14245.00	84.93	16773.68	41.86	8434.79	63.17	13423.63	71.50	16266.25	71.43	17321.78
4	हिमाचल प्रदेश	0.03	5.78	0.13	25.68	0.03	6.05	0.03	6.38	0.03	6.83	0.03	7.28
5	जम्मू एवं कश्मीर	0.00010	0.02	0.24	47.40	0.002	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	मध्य प्रदेश	129.42	24913.35	128.16	25311.60	46.04	9275.05	70.97	15081.13	48.39	11008.73	77.74	18851.95
7	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.01	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	पंजाब	127.25	24495.63	132.39	26147.03	96.48	19440.72	121.21	25767.75	124.64	28355.60	119.28	28925.40
9	राजस्थान	22.25	4283.13	23.40	4621.50	0.10	20.15	4.38	930.75	12.06	2743.65	21.37	5182.23
10	उत्तर प्रदेश	35.77	6885.73	56.41	11140.98	3.36	677.04	2.20	467.50	9.31	2118.03	10.27	2490.48
11	उत्तराखंड	0.38	73.15	1.44	284.40	0.02	4.03	0.003	0.64	0.02	4.55	0.01	2.43
12	दिल्ली	0.00028	0.05	0.06	11.85	0.00001	0.0020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**389.92**	**75059.67**	**433.44**	**85604.40**	**187.92**	**37866.30**	**261.97**	**55679.89**	**266.05**	**60526.38**	**300.35**	**72834.88**

अनुबंध-ग

लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उतरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3017 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मोटे अनाज की खरीद दर्शानें वाला विवरण

दिनांक **02.03.2026** तक की स्थिति के अनुसार
आंकड़े टन में

खरीफ विपणन मौसम	वस्तु	आंध्र प्रदेश	गुजरात	हरियाणा	कर्नाटक	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश	ओडिशा	उत्तराखंड	तमिलनाडु	कुल खरीद (टन में)	एमएसपी (रु./क्विंटल)	एमएसपी मूल्य (करोड़ में)
2020-21	ज्वार	-	-	0	80722	29582	17784	0	-	-	-	128088	2620	335.59
	ज्वार	-	-	0	0	0	18384	0	-	-	-	18384	2620	48.17
	बाजरा	-	11515	150000	0	195351	5005	0	-	-	-	361871	2150	778.02
	मक्का	-	4133	-	0	0	88283	106413	-	-	-	198829	1850	367.83
	मक्का (रबी)	-	-	-	0	0	6486	0	-	-	-	6486	1850	12.00
	रागी	-	-	-	474098	0	0	0	20252	-	-	494350	3295	1628.88
	कुल	-	**15648**	**150000**	**554820**	**224933**	**135942**	**106413**	**20252**	-	-	**1208008**		0.00
2021-22	ज्वार	-	-	-	103920	32393	20262	0	-	-	-	156575	2738	428.70
	ज्वार	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	2738	0.00
	बाजरा	-	7284	-	0	5400	567	0	-	-	-	13251	2250	29.81
	मक्का	-	389	-	0	0	19615	2763	-	-	-	22767	1870	42.57
	मक्का (रबी)	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	1870	0.00
	रागी	-	-	-	404784	0	253	0	32302	-	-	437339	3377	1476.89
	कुल	-	**7673**	-	**508703**	**37793**	**40697**	**2763**	**32302**	-	-	**629931**		0.00
2022-23	ज्वार	-	0	-	76897	258	1378	0	-	-	-	78533	2970	233.24
	ज्वार	3621	685	-	0	0	2358	0	-	-	-	6664	2970	19.79
	बाजरा	-	766	81147	0	0	10	43437	-	-	-	125360	2350	294.60
	बाजरा (रबी)	-	56645	-	0	0	0	0	-	-	-	56645	2350	133.12
	मक्का	-	0	-	0	0	48	0	-	-	-	48	1962	0.10
	मक्का (रबी)	-	197	-	0	0	12877	0	-	-	-	13074	1962	25.65
	रागी	4	0	-	454404	0	636	0	-	1186	515	456745	3578	1634.23
	कुल	**3625**	**58293**	**81147**	**531301**	**258**	**17308**	**43437**	-	**1186**	**515**	**737069**		0.00
2023-24	ज्वार	24466			85402		462	13340				123670	3180	393.27
	ज्वार	4903	2946		105019		86624.9					199493	3180	634.39
	बाजरा		33359	231334				355038				619731	2500	1549.33
	बाजरा (रबी)		76726.5									76726	2500	191.82
	मक्का						25	4451				4476	2090	9.35
	मक्का (रबी)						56					56	2090	0.12
	रागी	376	0.75		226576		189	0.7		1889	1889	230920	3846	888.12
	कुल	**29745**	**113032**	**231334**	**416997**		**87357**	**372830**		**1889**	**1889**	**1255073**		0.00
2024-25	ज्वार		27		115352	908	937	46942				164166	3371	553.40
	ज्वार	35402	5300		78676		131311					250689	3371	845.07
	बाजरा		3818	156000				101311				261129	2625	685.46
	बाजरा (रबी)		82223									82223	2625	215.84
	मक्का						1					1	2225	0.00
	मक्का (रबी)		118				51	19312				19481	2225	43.35
	रागी	205	5		346079		233		40000	3139	4050	393711	4290	1689.02
	रागी	902										902	4290	3.87
	कुल	**36509**	**91491**	**156000**	**540107**	**908**	**132533**	**167565**	**40000**	**3139**	**4050**	**1172302**		0.00
2025-26*	ज्वार					379	1459	43562				45400	3699	167.93
	ज्वार											0	3699	0.00
	बाजरा		14472	233				213973				228678	2775	634.58
	बाजरा (रबी)											0	2775	0.00
	मक्का		564				48800	13209				62573	2400	150.18
	मक्का (रबी)											0	2400	0.00
	रागी		13		53442					5386	2376	61217	4886	299.11
	रागी											0	4886	0.00
	कुल	**0**	**15049**	**233**	**53442**	**379**	**50259**	**270744**	**0**	**5386**	**2376**	**397868**		0.00

*2025-26 की खरीद अभी भी जारी है (26.02.2026 तक खरीद)

लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3017 के भाग (ङ.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 01.02.2026 तक एफसीआई और राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ केंद्रीय पूल भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

	क्रम संख्या	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	एफसीआई के पास कुल भंडारण क्षमता (स्वामित्व/किराए पर) (कवर्ड और सीएपी)						कुल (स्वामित्व+किराए पर)	खाद्यान्नों के भंडारण के लिए राज्य भंडारण समितियों (एफसीआई को दी गई क्षमताओं को छोड़कर) सहित राज्य एजेंसियों के पास कुल भंडारण क्षमता			कुल योग		
			कवर्ड		सीएपी		कुल		कवर और सीएपी	राज्य एजेंसियां			कवर्ड	सीएपी	कवर्ड और सीएपी
			स्वामित्व	किराए पर	स्वामित्व	किराए पर	कवर्ड	सीएपी		कवर्ड	सीएपी	कुल			
पूर्व	1	बिहार	3.45	10.41	0.00	0.00	13.86	0.00	**13.86**	10.13	0.00	10.13	23.99	0.00	**23.99**
	2	झारखंड	1.08	3.47	0.00	0.00	4.56	0.00	**4.56**	2.25	0	2.25	6.81	0.00	**6.81**
	3	उड़ीसा	3.65	3.13	0.00	0.00	6.78	0.00	**6.78**	5.44	0	5.44	12.22	0.00	**12.22**
	4	पश्चिम बंगाल	9.53	1.47	0.00	0.00	11.00	0.00	**11.00**	10.06	0	10.06	21.07	0.00	**21.07**
	5	सिक्किम	0.11	0.01	0.00	0.00	0.11	0.00	**0.11**	0.13	0	0.13	0.24	0.00	**0.24**
		कुल पूर्वी अंचल	**17.82**	**18.49**	**0.00**	**0.00**	**36.31**	**0.00**	**36.31**	**28.01**	**0.00**	**28.01**	**64.32**	**0.00**	**64.32**
पूर्वोत्तर	6	असम	3.82	1.57	0.00	0.00	5.39	0.00	**5.39**	0.00	0	0.00	5.39	0.00	**5.39**
	7	अरुणाचल प्रदेश	0.41	0.04	0.00	0.00	0.45	0.00	**0.45**	0.00	0	0.00	0.45	0.00	**0.45**
	8	मेघालय	0.20	0.25	0.00	0.00	0.44	0.00	**0.44**	0.00	0	0.00	0.44	0.00	**0.44**
	9	मिजोरम	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	**0.32**	0.41	0	0.41	0.73	0.00	**0.73**
	10	त्रिपुरा	0.44	0.19	0.00	0.00	0.62	0.00	**0.62**	0.64	0	0.64	1.27	0.00	**1.27**
	11	मणिपुर	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	**0.65**	0.00	0	0.00	0.65	0.00	**0.65**
	12	नागालैंड	0.42	0.16	0.00	0.00	0.57	0.00	**0.57**	0.08	0	0.08	0.65	0.00	**0.65**
		कुल पूर्वोत्तर अंचल	**6.25**	**2.19**	**0.00**	**0.00**	**8.44**	**0.00**	**8.44**	**1.13**	**0.00**	**1.13**	**9.57**	**0.00**	**9.57**
उत्तर	13	दिल्ली	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	**3.28**	0.00	0	0.00	3.28	0.00	**3.28**
	14	हरियाणा	8.75	52.66	2.88	0.00	61.41	2.88	**64.29**	46.70	18.69	65.39	108.11	21.57	**129.68**
	15	हिमाचल प्रदेश	0.27	0.74	0.00	0.00	1.01	0.00	**1.01**	0.00	0	0.00	1.01	0.00	**1.01**
	16	जम्मू एवं कश्मीर	0.95	1.70	0.00	0.00	2.65	0.00	**2.65**	0.00	0	0.00	2.65	0.00	**2.65**
	17	लद्दाख	0.25	0.13	0.00	0.00	0.38	0.00	**0.38**	0.00	0	0.00	0.38	0.00	**0.38**
	18	पंजाब	27.19	122.10	3.31	5.76	149.29	9.07	**158.36**	27.07	62.01	89.08	176.36	71.08	**247.44**
	19	चंडीगढ़	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	**0.09**	0.00	0	0.00	0.09	0.00	**0.09**
	20	राजस्थान	8.42	12.02	0.60	0.00	20.44	0.60	**21.04**	0.00	0	0.00	20.44	0.60	**21.04**
	21	उत्तर प्रदेश	15.48	40.06	0.00	0.00	55.54	0.00	**55.54**	0.00	0	0.00	55.54	0.00	**55.54**
	22	उत्तराखंड	0.83	1.19	0.00	0.00	2.03	0.00	**2.03**	1.88	0	1.88	3.91	0.00	**3.91**
		कुल उत्तरी अंचल	**65.41**	**230.70**	**6.79**	**5.76**	**296.11**	**12.55**	**308.66**	**75.65**	**80.70**	**156.35**	**371.76**	**93.25**	**465.01**
दक्षिण	23	आंध्र प्रदेश	8.64	7.72	0.00	0.00	16.36	0.00	**16.36**	11.46	0	11.46	27.82	0.00	**27.82**
	24	अंडमान निकोबार	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	**0.07**	0.16	0	0.16	0.23	0.00	**0.23**
	25	तेलंगाना	6.68	16.32	0.00	0.00	23.00	0.00	**23.00**	7.10	0	7.10	30.10	0.00	**30.10**
	26	केरल	5.88	0.13	0.00	0.00	6.01	0.00	**6.01**	1.84	0	1.84	7.85	0.00	**7.85**
	27	कर्नाटक	4.61	5.76	0.00	0.00	10.37	0.00	**10.37**	30.93	0	30.93	41.30	0.00	**41.30**
	28	लक्षद्वीप	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	**0.03**	0.00	0	0.00	0.03	0.00	**0.03**
	29	तमिलनाडु	6.46	6.40	0.00	0.00	12.86	0.00	**12.86**	17.66	0	17.66	30.52	0.00	**30.52**
	30	पुडुचेरी	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	**0.51**	0.00	0	0.00	0.51	0.00	**0.51**
		कुल दक्षिण अंचल	**32.87**	**36.34**	**0.00**	**0.00**	**69.21**	**0.00**	**69.21**	**69.15**	**0.00**	**69.15**	**138.36**	**0.00**	**138.36**
पश्चिम	31	गुजरात	4.93	4.56	0.00	0.00	9.48	0.00	**9.48**	0.58	0	0.58	10.06	0.00	**10.06**
	32	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	33	महाराष्ट्र	9.23	9.76	0.00	0.00	18.99	0.00	**18.99**	6.98	0	6.98	25.97	0.00	**25.97**
	34	गोवा	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	**0.19**	0.00	0	0.00	0.19	0.00	**0.19**
	35	मध्य प्रदेश	4.18	6.61	0.00	0.00	10.79	0.00	**10.79**	189.16	0.00	189.16	199.95	0.00	**199.95**
	36	छत्तीसगढ़	6.32	14.83	0.00	0.00	21.15	0.00	**21.15**	11.26	0	11.26	32.41	0.00	**32.41**
		कुल पश्चिम अंचल	**24.84**	**35.75**	**0.00**	**0.00**	**60.59**	**0.00**	**60.59**	**207.98**	**0.00**	**207.98**	**268.57**	**0.00**	**268.57**
		कुल योग	**147.20**	**323.47**	**6.79**	**5.76**	**470.67**	**12.55**	**483.22**	**381.92**	**80.70**	**462.62**	**852.59**	**93.25**	**945.84**

अनुबंध II

लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3017 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीईजी योजना के तहत सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी और निजी निवेशकों द्वारा दिनांक 31.01.2026 तक राज्य-वार पूर्ण की गई क्षमता को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े टन में)

क्रम संख्या	राज्य	एचएलसी द्वारा स्वीकृत प्रारंभिक क्षमता	बाद में मंजूर क्षमता में रद्दीकरण/जोड़	स्वीकृत क्षमता	साइलो के लिए स्थानांतरित क्षमता	पीईजी के लिए नेट स्वीकृत क्षमता	जिस क्षमता के लिए टेंडर मंज़ूर/आवंटित किए गए	निर्माणाधीन क्षमता	जिस क्षमता के लिए निर्माण कार्य अभी शुरू होना बाकी है	कुछ छोटे-मोटे सहायक कार्यों के लंबित रहने के साथ क्षमता का निर्माण पूरा हो गया है।	सभी तरह से क्षमता पूरी हो गई है	कुल पूर्ण क्षमता	क्षमता अधिग्रहण	क्षमता का कार्य सभी दृष्टियों से पूर्ण हो चुका है और अभी इसका अधिग्रहण होना बाकी है।
1	आंध्र प्रदेश	132,000	-19,200	112,800	0	112,800	87,800	0	0	30,000	57,800	87,800	57,800	0
2	बिहार	940,000	-10,000	930,000	200,000	730,000	470,000	60,000	10,000	0	400,000	400,000	329,787	70,213
3	छत्तीसगढ़	542,600	-5,370	537,230	0	537,230	537,230	0	0	0	537,230	537,230	537,230	0
4	गुजरात	100,000	-200	99,800	50,000	49,800	49,800	0	0	0	49,800	49,800	34,800	15,000
5	हरियाणा	3,930,590	-127,001	3,803,589	300,000	3,503,589	3,486,589	0	0	0	3,486,589	3,486,589	3,428,739	57,850
6	हिमाचल प्रदेश	142,550	11,670	154,220	0	154,220	70,520	13,000	0	0	57,520	57,520	57,520	0
7	जम्मू एवं कश्मीर	371,020	0	371,020	0	371,020	304,690	82,500	0	0	222,190	222,190	222,190	0
8	झारखंड	475,000	-49,000	426,000	0	426,000	366,000	18,330	0	25,000	322,670	347,670	317,670	5,000
9	कर्नाटक	241,700	-260	241,440	0	241,440	241,440	0	0	0	241,440	241,440	194,269	47,171
10	केरल	55,000	0	55,000	50,000	5,000	5,000	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0
11	मध्य प्रदेश	2,366,600	-636,940	1,729,660	350,000	1,379,660	1,303,160	0	0	120,000	1,183,160	1,303,160	522,930	660,230
12	महाराष्ट्र	683,167	-20,356	662,811	100,000	562,811	562,811	0	0	0	562,811	562,811	562,811	0
13	ओडिशा	375,000	-15,000	360,000	0	360,000	357,500	0	0	0	357,500	357,500	352,500	5,000
14	पंजाब	4,999,000	482,637	5,481,637	988,142	4,493,495	4,468,836	0	0	0	4,468,836	4,468,836	4,468,836	0
15	राजस्थान	250,000	-15,000	235,000	0	235,000	235,000	0	0	67,000	168,000	235,000	168,000	0
16	तमिलनाडु	345,000	-35,000	310,000	0	310,000	255,000	0	0	0	255,000	255,000	220,000	35,000
17	तेलंगाना	319,000	0	319,000	0	319,000	319,000	0	0	81,000	238,000	319,000	238,000	0
18	उत्तर प्रदेश	3,295,500	-639,373	2,656,127	300,000	2,356,127	1,833,857	113,330	0	0	1,720,527	1,720,527	1,483,347	237,180
19	उत्तराखंड	25,000	-15,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0
20	पश्चिम बंगाल	643,600	-259,510	384,090	200,000	184,090	154,090	0	0	0	154,090	154,090	149,140	4,950
	कुल	**20,232,327**	**-1,352,903**	**18,879,424**	**2,538,142**	**16,341,282**	**15,118,323**	**287,160**	**10,000**	**323,000**	**14,498,163**	**14,821,163**	**13,360,569**	**1,137,594**
								0					**14,498,163**	
	पूर्वोत्तर राज्यों में पीईजी योजना की स्थिति													
21	असम	0	190000	190,000	0	190,000	25,000	0	0	0	25,000	25,000	25,000	0
22	मेघालय	0	34180	34,180	0	34,180	15,000	0	0	0	15,000	15,000	15,000	0
23	नागालैंड	0	13000	13,000	0	13,000								
24	त्रिपुरा	0	49000	49,000	0	49,000								
	कुल		**286,180**	**286,180**	**0**	**286,180**	**40,000**	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**40,000**	**40,000**	**0**
	कुल योग	**20,232,327**	**-1,066,723**	**19,165,604**	**2,538,142**	**16,627,462**	**15,158,323**	**287,160**	**10,000**	**323,000**	**14,538,163**	**14,861,163**	**13,400,569**	**1,137,594**
													14,538,163	

नोट:

1. उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लिए 53वीं एचएलसी बैठक में 6.95 लाख टन क्षमता को मंजूरी दी गई है।
2. मंत्रालय के साथ-साथ 53वीं एचएलसी बैठक में झारखंड (23000 टन), असम (6000 टन) और गुजरात (12000 टन) में कुल 0.41 लाख टन की क्षमता को मंजूरी दी गई है।
3. आंध्र प्रदेश में, 0.20 लाख टन (श्रीकाकुलम) की गारंटी समाप्त हो गई और 0.30 लाख टन (बिकावोले) का अनुबंध एपीएसडब्ल्यूसी द्वारा समाप्त कर दिया गया, दोनों अभी भी पूर्ण आंकड़ों में दिखाए गए हैं।
4. दिनांक 13.02.2020 को हुई 56वीं एचएलसी ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें पश्चिम बंगाल में आरआईडीएफ योजना के अंतर्गत 60,000 टन क्षमता वाले गोदामों (गुस्करा (5000), मेमारी (5000), भातर (5000), केतुग्राम (5000), मॉन्टेश्वर (5000), भोलपुर (5000), सैंथिया (5000), बसीरहाट (5000) और हल्दिया में डब्ल्यूबीएसडब्ल्यूसी द्वारा अपनी भूमि पर निर्मित गोदाम (20000)) को हटाने का प्रस्ताव था। तदनुसार, इन्हें शुद्ध अनुमोदित क्षमता से हटा दिया गया है।
5. दिनांक 13.02.2020 को हुई 56वीं एचएलसी ने एसएलसी की उन सिफारिशों को मंजूरी दे दी है जिनमें बिहार क्षेत्र (छपरा-20000, जमुई-20000, वैशाली-20000, सिवान-10000, आरा-10000, अररिया-10000) में 90000 मीट्रिक टन और मेघालय क्षेत्र (शिलांग-10000 और बायरीनाहट-5000 टन) में 15000 टन की दरों को स्वीकार करने की बात कही गई थी। इन्हें बाद में स्वीकृत क्षमता में जोड़ दिया गया।बाद में इसे मंज़ूर कैपेसिटी में जोड़ा गया।
6. दिनांक 13.02.2020 को हुई 56वीं एचएलसी ने एसएलसी की उस सिफारिश को मंजूरी दे दी है जिसमें गुजरात में 12000 टन (नर्मदा) की क्षमता को हटाने की बात कही गई है और यदि रेलवे माल गोदाम भविष्य में नर्मदा जिले में आता है तो इसे शुद्ध अनुमोदित क्षमता से हटा दिया जाएगा।
7. दिनांक 06.10.2020 को 57वें एचएलसी ने असम में 0.74 लाख टन, मेघालय में 0.06 लाख टन, नागालैंड में 0.16 लाख टन और त्रिपुरा में 0.49 लाख टन की क्षमता को मंजूरी दी है।
8. दिनांक 06.10.2021 के 58वें एचएलसी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर (30000 टन) और मऊ (20000 टन) स्थित गोदामों को बंद कर दिया है, जो अभी भी पूर्ण क्षमता में दिखाए जा रहे हैं।
9. दिनांक 17.03.2023 के 61वें एचएलसी ने 24 स्थानों पर 4.53 लाख टन की क्षमता सरेंडर कर दी है, जिसमें से 0.76500 लाख टन को स्वीकृत क्षमता से हटा दिया गया है और शेष 3.77 लाख टन की क्षमता अभी भी पूर्ण और अभी तक अधिग्रहण की जाने वाली क्षमता में दिखाई दे रही है।
10. प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) में 5000 टन क्षमता और जालौन (उत्तर प्रदेश) में 5000 टन क्षमता वाली परियोजनाएं "निर्माणाधीन" स्थिति से बाहर निकल चुकी हैं और जुलाई 2023 में इनका अधिग्रहण कर लिया गया है।
11. 27.07.2023 को 62वें एचएलसी के तहत नवादा (बिहार) में 10000 टन क्षमता, बांका (बिहार) में 10000 टन क्षमता और सिवान (बिहार) में 10000 टन क्षमता की स्वीकृत क्षमता समाप्त कर दी गई है। अतः इन्हें स्वीकृत क्षमता से हटा दिया गया है।
12. दिनांक 17.03.2023 के 61वें एचएलसी के अनुसार, पीईजी अनंतनाग की क्षमता 20000 मीट्रिक टन से घटाकर 17500 मीट्रिक टन कर दी गई थी। इसके अलावा, कुलगाम के लिए 2500 मीट्रिक टन की क्षमता स्वीकृत की गई थी। लेकिन एचएलसी ने कुलगाम के लिए 10000 मीट्रिक टन की क्षमता को मंजूरी दी।

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3017 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

हरियाणा

क्षेत्र	चरण	स्थान	क्षमता(लाख टन में)	नोडल एजेंसी	एचएलसी में स्वीकृत
हरियाणा	चरण 1	10	4	हैफेड	61 वें
	फेस II	10	3	हैफेड	64 वें
	चरण-III	10	2.65		66 वें
	चरण-IV	10	4.85		66 वें
	कुल	**40**	**14.5**		

4 लाख टन- 10 स्थान

क्र. सं.	एचएलसी में स्वीकृत	एफसीआई डीओ का नाम	राजस्व जिला	केंद्र/ स्थान	बनाई जाने वाली क्षमता
1	61 वें	हिसार	फतेहाबाद	फतेहाबाद	0.3
2		करनाल	करनाल	जुंडला	0.3
3				हेमडा	0.3
4				निसिंग	0.3
5			जगाधरी	जगाधरी (खिजराबाद+बिलासपुर)	0.45
6			अमाबला	अंबाला(नारायणगढ़)	0.3
7		कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र (पिपली)	0.45
8				शाहाबाद	0.5
9			कैथल	कैथल+जखोली)	0.4
10				पेहोवा	0.7
		कुल योग			**4**

3 लाख टन -10 स्थान

1	64 वें	हिसार	फतेहाबाद	जाखल	0.1
		कुल (हिसार)			**0.1**
2		करनाल	करनाल	ताराओरी	0.2
3		करनाल	यमुनानगर	जगाधरी	0.4
4		करनाल	अंबाला	नसीरपुर	0.1
5		करनाल		अंबाला कैंट	0.35
6		करनाल		साढौरा (मंडौर सहित)	0.15
		कुल (करनाल)			**1.2**
7		कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	शाहाबाद	0.25
8		कुरुक्षेत्र	कैथल	कैथल	0.25
9		कुरुक्षेत्र		ढांड	0.6
		कुल (कुरुक्षेत्र)			**1.1**
10		रोहतक	जींद	नरवाना	0.6
		कुल (रोहतक)			**0.6**
		कुल योग			**3**

4.85 लाख टन- 10 स्थान

1	66 वें	हिसार	चरखी दादरी	चाखरी दादरी	0.1
2			फतेहाबाद	जाखल	0.65
		कुल (हिसार)			**0.75**
3		अंबाला	अंबाला	अंबाला	1.05
4				बरारा और मुलाना	0.55
		कुल (करनाल)			**1.6**
5		कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	0.4
6				शाहाबाद	0.25
7			कैथल	कैथल	0.2
8				चीका	0.7
9				ढांड	0.3
		कुल (कुरुक्षेत्र)			**1.85**
10		रोहतक	झज्जर	झज्जर	0.65
		कुल (रोहतक)			**0.65**
		कुल योग			**4.85**

2.65 लाख टन -10 स्थान

1	66 वें	हिसार	फतेहाबाद	जाखल	0.1
		कुल (हिसार)			**0.1**
2		करनाल	यमुना नगर	मुस्तफाबाद	0.3
3				जगाधरी	0.35
4				यमुना नगर	0.25
		कुल (करनाल)			**0.9**
5		कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	0.45
6				इस्लामाबाद	0.25
7				शाहाबाद	0.1
8			कैथल	चीका	0.35
9				कैथल	0.35
		कुल (कुरुक्षेत्र)			**1.5**
10		रोहतक	जींद	नरवाना	0.15
		कुल (रोहतक)			**0.15**
		कुल योग			**2.65**

अनुबंध IV

लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3017 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पंजाब

क्र.सं.	क्षेत्र	चरण	स्थान	क्षमता (लाख टन में)	नोडल एजेंसी	एचएलसी में स्वीकृत
1	पंजाब	चरण 1	31	9	पनग्रेन	61 वें
		चरण II	39	22	पीएसडब्ल्यूसी(17)/सीडब्ल्यूसी(5)	64 वें
		चरण-III	37	15	पनग्रेन(10)/मार्कफेड(5)	66 वीं एचएलसी
		कुल	**107**	**46**		

9 लाख टन -31 स्थान

स्थानों की संख्या	एचएलसी में स्वीकृत	एफसीआई जिला	राजस्व जिले का नाम	केंद्र का नाम	निर्धारित क्षमता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ढके हुए स्थान की आवश्यकता
1		चंडीगढ़	रूपनगर	रोपड़	30000
2		बठिंडा	बठिंडा	रमन	60000
3		बठिंडा	बठिंडा	भुच्चू	30000
4		बठिंडा	बठिंडा	रामपुरा फुल	20000
5		बठिंडा	बठिंडा	मनसा	60000
6		बठिंडा	मनसा	बुढलाडा	30000
7		बठिंडा	मनसा	सरदूलगढ़	40000
8		फरीदकोट	फरीदकोट	फरीदकोट	30000
9		फरीदकोट	फरीदकोट	जैतु	30000
10		फरीदकोट	मुक्तसर	बरीवाला	20000
11		फरीदकोट	मुक्तसर	मुक्तसर + लखेवाली	20000
12		फरीदकोट	मुक्तसर	गिद्दड़बाहा	30000
13		फिरोजपुर	फिरोजपुर	फिरोजपुर	30000
14		फिरोजपुर	फिरोजपुर	गुरुहरसहाय	30000
15		फिरोजपुर	फिरोजपुर	मख	30000
16		लुधियाना	लुधियाना	मुल्लांपुर	20000
17		लुधियाना	लुधियाना	जगराओं	40000
18		मोगा	मोगा	निहाल सिंहवाला	20000
19		मोगा	मोगा	अजीतवाल	50000
20		पटियाला	पटियाला	एफएसडी पटियाला	30000
21		पटियाला	पटियाला	दुधन	10000
22		पटियाला	पटियाला	समाना	20000
23		पटियाला	पटियाला	राजपुरा	10000
24		पटियाला	पटियाला	पत्रन	30000
25		संगरूर	बरनाला	तप	40000
26		संगरूर	संगरूर	मनक	10000
27		संगरूर	संगरूर	भवानीगढ़	20000
28		संगरूर	बरनाला	बरनाला	40000
29		जालंधर	एसबीएस नगर	नवांशहर	20000
30		जालंधर	एसबीएस नगर	बंगा	20000
31		जालंधर	जालंधर	नकोदर	30000
					900000

22 लाख टन - 39 स्थान

1		अमृतसर	अमृतसर/तरन-तारन	भरारीवाल/ चभल/मजीठा	50000
2				भिखीविंड/पट्टी	50000
3		बठिंडा	बठिंडा	बठिंडा	70000
4				भुचो	30000
5				तलवंडी साबो/रमन	70000
6				भगतभाई	30000
7				गोनियाना	30000
8				मौर	50000
9			मनसा	मनसा	80000
10				बुढलाडा/भीखी	80000
11		चंडीगढ़	रोपड़	मोरिंडा	20000
12			फतेहगढ़ साहिब	सरहिंद	30000
13		फिरोजपुर	फिरोजपुर	फिरोजपुर	30000
14				मखु/ज़ीरा	80000
15				गुरुहरसहाए	30000
16				तलवंडीभाई	70000
17		गुरदासपुर	गुरदासपुर	बटाला	40000
18		होशियारपुर	होशियारपुर	गढ़शंकर	40000
19				मुकेरियां	50000
20		जालंधर	जालंधर	अप्रा/फिल्लौर	50000
21				लोहियांखास/ शाहकोट	60000
22				नूरमहल	60000
23			एसबीएस नगर	बंगा	60000
24				बलाचौर	30000
25				नवांशहर	40000
26		कपूरथला	कपूरथला	भोलाथ	40000
27				सुल्तानपुर लोधी	60000
28				फगवाड़ा	50000
29		लुधियाना	लुधियाना	दाखा/जंगपुर (मुल्लांपुर)	100000
30				हथूर/जगराओं	70000
31				रायकोट/किलारायपुर	150000
32		मोगा	मोगा	डीएमकेटी+केआईके	150000
33				अजीतवाल/एनएस वाला/बदनीकलां	80000
34				बाघापुराना	150000
35		पटियाला	पटियाला	पटियाला/दूधन/समाना	20000
36				राजपुरा/बनूर/घनौर	20000
37		चंडीगढ़	चंडीगढ़	दप्पार	20000
38				कुराली	20000
39				खमनोन/संघोल	40000
				कुल क्षमता	2,200,000

15 लाख टन - 37 स्थान

1	66वां एचएलसी	अमृतसर	अमृतसर/तरनतारन	भरारीवाल/ चभल/ मजीठा	90000
2			तरनतारन	भिखीविंड/पट्टी	90000
3		भटिंडा	भटिंडा	गोनियाना/ भगता भाई	40000
4			मनसा	बरेटा	30000
5			मनसा	सरदूलगढ़	70000
6		चंडीगढ़	एसएएस नगर	दप्पार	20000
7			रूपनगर	चमकौर साहिब/रोपड़	40000
8			फतेहगढ़	खमनोन/ संघोल	20000
9			फतेहगढ़	सरहिंद/ चिनारथल	20000
10			फतेहगढ़	बस्सी पठाना	10000
11			फतेहगढ़	गोबिंदगढ़/ अमलोह	20000
12		फिरोजपुर	फाजिल्का	फाजिल्का/ लाधूका	100000
13			फिरोजपुर	फिरोजपुर	20000
14			फाजिल्का	जलालाबाद/ रोरांवाली	60000
15			फिरोजपुर	मल्लनवाला	30000
16		होशियारपुर	एसबीएस नगर	बलाचौर	10000
17			होशियारपुर	Garhshankar	20000
18		जालंधर	जालंधर	अप्रा/ फिल्लौर	50000
19			जालंधर	भोगपुर	20000
20			जालंधर	करतारपुर	20000
21			जालंधर	लोहियां खास/ शाहकोट	40000
22			जालंधर	नकोदर	40000
23			जालंधर	नूरमहल	20000
24			एसबीएस नगर	बैंग ए	50000
25			एसबीएस नगर	नवांशहर	20000
26		कपूरथला	कपूरथला	कपूरथला	40000
27			कपूरथला	भोलाथ	20000
28			कपूरथला	फगवाड़ा	80000
29			लुधियाना	हथूर/ जगराओं	70000
30		लुधियाना	लुधियाना	दाखा / जंगपुर (मुल्लांपुर)	20000
31			लुधियाना	रायकोट/किलारायपुर	50000
32			लुधियाना	मालौद	20000
33			लुधियाना	चावापैल/ माछीवाड़ा/ खन्ना	30000
34			मोगा	बाघापुराना	90000
35			मोगा	बाघापुराना	90000
36			पटियाला	पत्रन	20000
37			संगरूर	लहरागागा	20000
पीईजी 10 वर्षीय योजना चरण-3 के अंतर्गत कुल प्रस्तावित क्षमता					**1500000**

अनुबंध V, VI, VII, VIII

लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3017 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पूर्ण साइलो (अनुबंध-I)	**क्षमता (लाख टन में)**
सर्किट आधारित मॉडल (2007-09)	5.50
रेलवे साइडिंग और रोड फेड मॉडल	20.75
हब और स्पोक चरण-1 (डीबीएफओटी)	6.00
कुल योग	**32.25**

निर्माणाधीन साइलो (अनुबंध-II)	**क्षमता (लाख टन में)**
रेलवे साइडिंग और रोड फेड मॉडल	3.50
हब और स्पोक चरण-1 (डीबीएफओटी)	4.375
हब और स्पोक चरण-1 (डीबीएफओओ)	23.50
कुल योग	**31.375**

एलओसी अभी जारी नहीं हुआ है (अनुबंध-III)	**क्षमता (लाख टन में)**
हब और स्पोक चरण-1 (डीबीएफओटी)	1.00

कार्यान्वयन के अंतर्गत (एलओए जारी कर दिया गया है) (अनुबंध-IV)	**क्षमता (लाख टन में)**
हब और स्पोक चरण-2 (डीबीएफओओ)	25.125

अनुबंध- V

पूर्ण हो चुके साइलो की सूची

क्र.सं.	**राज्य/क्षेत्र**	**स्थान**	**एजेंसी**	**क्षमता (लाख टन में)**	**तरीका**	**पूरा होने का वर्ष**
1	पंजाब	मोगा	एफसीआई	2	सर्किट -I	2007-08
2	तमिलनाडु	चेन्नई	एफसीआई	0.25	सर्किट -I	2007-08
3	तमिलनाडु	कोयंबटूर	एफसीआई	0.25	सर्किट -I	2007-08
4	कर्नाटक	बैंगलोर	एफसीआई	0.25	सर्किट -I	2007-08
5	हरियाणा	कैथल	एफसीआई	2	सर्किट-II	2007-08
6	महाराष्ट्र	नवी मुंबई	एफसीआई	0.5	सर्किट-II	2007-08
7	पश्चिम बंगाल	हुगली	एफसीआई	0.25	सर्किट-II	2007-08
8	मध्य प्रदेश	हरदा	राज्य सरकार	0.5	वीजीएफ	2017-18
9	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	राज्य सरकार	0.5	वीजीएफ	2017-18
10	मध्य प्रदेश	देवास	राज्य सरकार	0.5	वीजीएफ	2017-18
11	मध्य प्रदेश	सतना	राज्य सरकार	0.5	वीजीएफ	2017-18
12	मध्य प्रदेश	सीहोर	राज्य सरकार	0.5	वीजीएफ	2017-18

13	मध्य प्रदेश	उज्जैन	राज्य सरकार	0.5	वीजीएफ	2017-18
14	मध्य प्रदेश	विदिशा	राज्य सरकार	0.5	वीजीएफ	2017-18
15	मध्य प्रदेश	भोपाल	राज्य सरकार	0.5	वीजीएफ	2017-18
16	मध्य प्रदेश	इंदौर	राज्य सरकार	0.5	वीजीएफ	2017-18
17	पंजाब	सुनाम	राज्य सरकार	0.5	वीजीएफ	2017-18
18	पंजाब	मलेरकोटला	राज्य सरकार	0.5	वीजीएफ	2017-18
19	पंजाब	अहमदगढ़	राज्य सरकार	0.5	वीजीएफ	2017-18
20	पंजाब	अमृतसर	राज्य सरकार	0.5	वीजीएफ	2017-18
21	बिहार	बक्सर	एफसीआई	0.5	वीजीएफ	23.04.2025
22	बिहार	कैमूर	एफसीआई	0.5	वीजीएफ	15.12.2025
23	पंजाब	Kotkapura	एफसीआई	0.25	वीजीएफ	04.11.2018
24	पंजाब	बरनाला	एफसीआई	0.5	गैर वीजीएफ	12.03.2020
25	पंजाब	पटियाला	एफसीआई	0.5	गैर वीजीएफ	23.08.2022
26	पंजाब	बटाला	एफसीआई	0.5	गैर वीजीएफ	14.06.2024
27	पंजाब	छेहरेट्टा	एफसीआई	0.5	गैर वीजीएफ	13.06.2024
28	पंजाब	संगरूर	एफसीआई	1	गैर वीजीएफ	01.12.2023
29	पंजाब	साहनेवाल	एफसीआई	0.5	वीजीएफ	01.05.2024
30	हरियाणा	भट्टू	एफसीआई	0.5	गैर वीजीएफ	10.08.2022
31	हरियाणा	*जींद*	एफसीआई	0.5	गैर वीजीएफ	14.06.2021
32	हरियाणा	सोनीपत	एफसीआई	0.5	गैर वीजीएफ	25.08.2021
33	हरियाणा	पानीपत	एफसीआई	0.5	गैर वीजीएफ	25.05.2023
34	हरियाणा	रोहतक	एफसीआई	0.5	गैर वीजीएफ	18.06.2023
35	गुजरात	अहमदाबाद	एफसीआई	0.5	गैर वीजीएफ	06.05.2021
36	गुजरात	बड़ौदा	एफसीआई	0.5	गैर वीजीएफ	10.05.2024
37	गुजरात	अमरेली	एफसीआई	0.5	गैर वीजीएफ	13.10.2023
38	असम	चांगसारी	एफसीआई	0.5	वीजीएफ	23.12.2021
39	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	एफसीआई	0.5	गैर- वीजीएफ	09.03.2023
40	उत्तर प्रदेश	धमोरा	एफसीआई	0.5	वीजीएफ	04.03.2023
41	उत्तर प्रदेश	बस्ती	एफसीआई	0.5	गैर वीजीएफ	24.09.2024
42	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	एफसीआई	0.5	गैर वीजीएफ	08.07.2025
43	उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज	एफसीआई	0.5	वीजीएफ	15.09.2025
44	बिहार	दरभंगा	एफसीआई	0.5	गैर वीजीएफ	28.02.2024
45	बिहार	समस्तीपुर	एफसीआई	0.5	गैर वीजीएफ	09.05.2024
46	बिहार	कटिहार	एफसीआई	0.5	वीजीएफ	01.04.2021
47	बिहार	खगरिया	एफसीआई	0.5	गैर वीजीएफ	02.06.2025
48	पश्चिम बंगाल	बेलूरघाट	एफसीआई	0.5	गैर वीजीएफ	16.06.2025

49	*राजस्थान*	सीएपी अलवर	एफसीआई	0.75	स्पोक	06.05.2025
50	*उत्तर प्रदेश*	संडीला	एफसीआई	0.75	स्पोक	10.06.2025
51	*उत्तर प्रदेश*	एफएसडी धमोरा	एफसीआई	0.25	स्पोक	20.08.2025
52	बिहार	कटिहार-II	एफसीआई	0.5	स्पोक	18.06.2025
53	पंजाब	बीजी मलौत	एफसीआई	1.5	हब	16.06.2025
54	*उत्तर प्रदेश*	*लालपुर*	*एफसीआई*	*1.00*	*स्पोक*	*दिसंबर-2025*
55	*हरियाणा*	*पलवल*	*एफसीआई*	*0.25*	*स्पोक*	*दिसंबर-2025*
56	*बिहार*	*पूर्णिया*	*एफसीआई*	*0.50*	*स्पोक*	*26.12.2025*
57	बिहार	बेगूसराय	एफसीआई	0.50	स्पोक	*जनवरी 2026*
			कुल	**32.25**		

अनुबंध- VI

निर्माणाधीन साइलो की सूची

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्थान**	**एजेंसी**	**क्षमता (टन में)**	**मोड**
1	बिहार	मधुबनी	एफसीआई	0.50	गैर-वीजीएफ
2	*उत्तर प्रदेश*	गोरखपुर	एफसीआई	0.50	गैर-वीजीएफ
3	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	एफसीआई	0.50	गैर-वीजीएफ
4	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	राज्य सरकार	0.50	गैर-वीजीएफ
5	उत्तर प्रदेश	ललितपुर	राज्य सरकार	0.50	गैर-वीजीएफ
6	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर	राज्य सरकार	0.50	गैर-वीजीएफ
7	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	एफसीआई	0.50	गैर-वीजीएफ
8	उत्तर प्रदेश	खुर्जा	एफसीआई	0.50	*स्पोक*
9	उत्तर प्रदेश	चंदारी	एफसीआई	1.25	हब
10	उत्तर प्रदेश	एफएसडी रोज़ा	एफसीआई	0.50	हब
11	गुजरात	एफएसडी वधवान	एफसीआई	0.25	*स्पोक*
12	गुजरात	एफएसडी वांकानेर	एफसीआई	0.25	स्पोक
13	गुजरात	एफएसडी गांधीधाम	एफसीआई	0.375	हब
14	महाराष्ट्र	एफएसडी बोरीवली	एफसीआई	1.25	हब
15	पंजाब	किल्लांवाली	एफसीआई	0.375	*स्पोक*
16	पंजाब	गिद्दड़बाहा	एफसीआई	0.50	स्पोक
17	पंजाब	पन्नीवाला	एफसीआई	0.25	स्पोक
18	पंजाब	भलियाना	एफसीआई	0.375	स्पोक
19	पंजाब	समाना	एफसीआई	0.75	स्पोक
20	पंजाब	पायल	एफसीआई	0.25	स्पोक
21	पंजाब	सादिक	एफसीआई	0.25	स्पोक
22	पंजाब	धुरी	एफसीआई	0.50	स्पोक
23	पंजाब	मूनक	एफसीआई	0.375	स्पोक

24	पंजाब	दिरबा	एफसीआई	0.25	स्पोक
25	पंजाब	खनौरी	एफसीआई	0.25	स्पोक
26	पंजाब	पटियाला	एफसीआई	0.50	स्पोक
27	पंजाब	पत्रन	एफसीआई	0.75	स्पोक
28	पंजाब	मेहलकलां	एफसीआई	0.375	स्पोक
29	पंजाब	सहना	एफसीआई	0.25	स्पोक
30	पंजाब	तप	एफसीआई	0.375	स्पोक
31	पंजाब	धनौला	एफसीआई	0.25	स्पोक
32	पंजाब	जैतो	एफसीआई	0.50	स्पोक
33	पंजाब	फरीदकोट	एफसीआई	0.75	स्पोक
34	पंजाब	मछीवाड़ा	एफसीआई	0.375	स्पोक
35	पंजाब	खन्ना	एफसीआई	0.375	स्पोक
36	पंजाब	लुधियाना	एफसीआई	0.25	स्पोक
37	पंजाब	बरीवाला	एफसीआई	0.25	स्पोक
38	पंजाब	मेहराजवाला	एफसीआई	0.25	स्पोक
39	पंजाब	मुक्तसर	एफसीआई	1.00	स्पोक
40	पंजाब	अबोहर	एफसीआई	0.50	स्पोक
41	बिहार	समस्तीपुर	एफसीआई	0.50	स्पोक
42	बिहार	किशनगंज	एफसीआई	0.50	स्पोक
43	बिहार	अररिया	एफसीआई	0.50	स्पोक
44	बिहार	दरभंगा	एफसीआई	0.50	स्पोक
45	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर	एफसीआई	0.50	स्पोक
46	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	एफसीआई	0.25	स्पोक
47	उत्तर प्रदेश	बहराइच	एफसीआई	0.25	स्पोक
48	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	एफसीआई	0.25	स्पोक
49	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	एफसीआई	0.25	स्पोक
50	उत्तर प्रदेश	संभल	एफसीआई	0.25	स्पोक
51	उत्तर प्रदेश	अमेठी	एफसीआई	0.25	स्पोक
52	उत्तर प्रदेश	औरैया	एफसीआई	0.25	स्पोक
53	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात	एफसीआई	0.25	स्पोक
54	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	एफसीआई	0.25	स्पोक
55	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	एफसीआई	0.25	स्पोक
56	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	एफसीआई	0.25	स्पोक
57	उत्तर प्रदेश	फर्रुखाबाद	एफसीआई	0.25	स्पोक
58	उत्तर प्रदेश	बदायूं	एफसीआई	0.25	स्पोक
59	उत्तर प्रदेश	अंबेडकर नगर	एफसीआई	0.25	स्पोक
60	पश्चिम बंगाल	मालदा	एफसीआई	0.25	स्पोक
61	गुजरात	बनासकांठा	एफसीआई	0.625	स्पोक
62	हरियाणा	असंध	एफसीआई	0.25	स्पोक
63	हरियाणा	घरौंदा	एफसीआई	0.25	स्पोक

64	हरियाणा	समालखान	एफसीआई	0.25	स्पोक
65	हरियाणा	गोहाना	एफसीआई	0.25	स्पोक
66	हरियाणा	होडल	एफसीआई	0.25	स्पोक
67	हरियाणा	भुना	एफसीआई	0.25	स्पोक
68	हरियाणा	पिलूखेड़ा	एफसीआई	0.25	स्पोक
69	हरियाणा	सफीदों	एफसीआई	0.25	स्पोक
70	हरियाणा	फतेहाबाद	एफसीआई	0.25	स्पोक
71	हरियाणा	रतिया	एफसीआई	0.25	स्पोक
72	हरियाणा	उचाना	एफसीआई	0.25	स्पोक
73	जम्मू और कश्मीर	कठुआ	एफसीआई	0.75	स्पोक
74	मध्य प्रदेश	उज्जैन	एफसीआई	0.75	स्पोक
75	मध्य प्रदेश	धार	एफसीआई	0.50	स्पोक
76	मध्य प्रदेश	गुना	एफसीआई	0.50	स्पोक
77	मध्य प्रदेश	दमोह	एफसीआई	0.50	स्पोक
			कुल	**31.375**	

अनुबंध- VII

एलओसी अभी जारी नहीं हुई है हब एंड स्पोक (डीबीएफओटी) चरण-1

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्थान**	**एजेंसी**	**क्षमता (टन में)**	मोड
1	*उत्तर प्रदेश*	एफएसडी गोंडा	एफसीआई	1.00	हब
			कुल	**1.00**	

अनुबंध- VIII

कार्यान्वयन के अंतर्गत (एलओए जारी कर दिया गया है) हब और स्पोक-चरण-II

क्र.सं.	**राज्य**	**स्थान**	**एजेंसी**	**साइलो का प्रकार (हब/स्पोक)**	**क्षमता (लाख टन में)**	**बंडल**
1	बिहार	मुजफ्फरपुर	एफसीआई	हब	0.5	डीबीएफओओ बिहार-1
2	बिहार	वैशाली	एफसीआई	स्पोक	0.25	डीबीएफओओ बिहार-1
3	बिहार	सरन	एफसीआई	स्पोक	0.25	डीबीएफओओ बिहार-1
4	बिहार	मोतिहारी	एफसीआई	हब	0.5	डीबीएफओओ बिहार-2
5	बिहार	सिवान	एफसीआई	स्पोक	0.25	डीबीएफओओ बिहार-2
6	गुजरात	मेहसाणा	एफसीआई	स्पोक	0.5	डीबीएफओओ गुजरात-1
7	गुजरात	भरूच	एफसीआई	स्पोक	0.375	डीबीएफओओ गुजरात-1
8	गुजरात	आनंद	एफसीआई	स्पोक	0.75	डीबीएफओओ गुजरात-1

9	गुजरात	नर्मदा	एफसीआई	स्पोक	0.25	डीबीएफओओ गुजरात-1
10	गुजरात	सूरत	एफसीआई	स्पोक	1	डीबीएफओओ गुजरात-2
11	गुजरात	वलसाड	एफसीआई	स्पोक	0.375	डीबीएफओओ गुजरात-2
12	गुजरात	नवसारी	एफसीआई	स्पोक	0.375	डीबीएफओओ गुजरात-2
13	महाराष्ट्र	पुणे	एफसीआई	स्पोक	1	डीबीएफओओ महाराष्ट्र-1
14	महाराष्ट्र	जलगांव	एफसीआई	स्पोक	0.75	डीबीएफओओ महाराष्ट्र-1
15	महाराष्ट्र	पालघर	एफसीआई	स्पोक	0.5	डीबीएफओओ महाराष्ट्र-1
16	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	एफसीआई	स्पोक	0.75	डीबीएफओओ महाराष्ट्र-2
17	महाराष्ट्र	नांदेड़	एफसीआई	स्पोक	0.5	डीबीएफओओ महाराष्ट्र-2
18	महाराष्ट्र	जलना	एफसीआई	स्पोक	0.375	डीबीएफओओ महाराष्ट्र-2
19	पंजाब	भटिंडा और रामपुरफुल के बीच	एफसीआई	हब	0.5	डीबीएफओओ पंजाब-1
20	पंजाब	भुच्चू	एफसीआई	स्पोक	0.375	डीबीएफओओ पंजाब-1
21	पंजाब	मौर	एफसीआई	स्पोक	0.5	डीबीएफओओ पंजाब-1
22	पंजाब	गोनियाना	एफसीआई	हब	0.5	डीबीएफओओ पंजाब-1
23	पंजाब	बुढलाडा	एफसीआई	हब	0.5	डीबीएफओओ पंजाब-2
24	पंजाब	मनसा	एफसीआई	स्पोक	0.25	डीबीएफओओ पंजाब-2
25	पंजाब	भीखी	एफसीआई	स्पोक	0.5	डीबीएफओओ पंजाब-2
26	पंजाब	सरदूलगढ़	एफसीआई	स्पोक	0.5	डीबीएफओओ पंजाब-2
27	पंजाब	बरेटा	एफसीआई	स्पोक	0.25	डीबीएफओओ पंजाब-2
28	पंजाब	फिल्लौर	एफसीआई	स्पोक	0.5	डीबीएफओओ पंजाब-3
29	पंजाब	दुधन	एफसीआई	हब	0.5	डीबीएफओओ पंजाब-3
30	पंजाब	मुक्तसर	एफसीआई	स्पोक	0.5	डीबीएफओओ पंजाब-3
31	पंजाब	मोगा	एफसीआई	हब	0.5	डीबीएफओओ पंजाब-4
32	पंजाब	शाकोट	एफसीआई	स्पोक	0.25	डीबीएफओओ पंजाब-4
33	पंजाब	ज़ीरा	एफसीआई	स्पोक	0.5	डीबीएफओओ पंजाब-4
34	पंजाब	धर्मकोट	एफसीआई	स्पोक	0.5	डीबीएफओओ पंजाब-4
35	राजस्थान	श्रीगंगानगर	एफसीआई	स्पोक	0.5	डीबीएफओओ राजस्थान 1
36	राजस्थान	श्रीविजयनगर	एफसीआई	स्पोक	0.25	डीबीएफओओ राजस्थान 1
37	राजस्थान	हनुमानगढ़ जं.	एफसीआई	स्पोक	0.5	डीबीएफओओ राजस्थान 1
38	राजस्थान	संगरिया	एफसीआई	स्पोक	0.25	डीबीएफओओ राजस्थान 1
39	राजस्थान	जोधपुर	एफसीआई	स्पोक	0.25	डीबीएफओओ राजस्थान-2
40	राजस्थान	उदयपुर	एफसीआई	स्पोक	0.25	डीबीएफओओ राजस्थान-2
41	राजस्थान	राजसमंद	एफसीआई	स्पोक	0.25	डीबीएफओओ राजस्थान-2
42	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	एफसीआई	हब	0.5	डीबीएफओओ उत्तर प्रदेश-1
43	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	एफसीआई	हब	1	डीबीएफओओ उत्तर प्रदेश-1

44	उत्तर प्रदेश	मऊ	एफसीआई	स्पोक	0.25	डीबीएफओओ उत्तर प्रदेश-1
45	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	एफसीआई	हब	1	डीबीएफओओ उत्तर प्रदेश-2
46	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	एफसीआई	स्पोक	0.5	डीबीएफओओ उत्तर प्रदेश-2
47	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार	एफसीआई	स्पोक	0.25	डीबीएफओओ पश्चिम बंगाल-1
48	पश्चिम बंगाल	कूचबिहार	एफसीआई	हब	0.5	डीबीएफओओ पश्चिम बंगाल-1
49	पश्चिम बंगाल	जंगीपुर	एफसीआई	हब	0.75	डीबीएफओओ पश्चिम बंगाल-2
50	पश्चिम बंगाल	बीरभूम	एफसीआई	स्पोक	0.25	डीबीएफओओ पश्चिम बंगाल-2
51	पश्चिम बंगाल	पूर्व बर्दवान	एफसीआई	स्पोक	0.25	डीबीएफओओ पश्चिम बंगाल-2
52	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मिदनापुर	एफसीआई	हब	0.5	डीबीएफओओ पश्चिम बंगाल-3
53	पश्चिम बंगाल	पूर्वी मिदनापुर	एफसीआई	स्पोक	0.5	डीबीएफओओ पश्चिम बंगाल-3
54	पश्चिम बंगाल	झारग्राम	एफसीआई	स्पोक	0.25	डीबीएफओओ पश्चिम बंगाल-3
				कुल	**25.125**	

अनुबंध- IX

लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3017 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

केंद्रीय क्षेत्र योजना (2017-18 से 2025-26 तक)

(दिनांक 01.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार)

उन स्थानों की सूची जहां भंडारण गोदाम का निर्माण पूरा हो चुका है

वर्ष	अंचल (पूर्वोत्तर/पूर्वोत्तर के अलावा)	राज्य	क्र.सं	स्थानों	क्षमता (टन में)	स्थिति
वित्त वर्ष 2017-18	पूर्वोत्तर	नागालैंड	1	कोहिमा	4590	पूर्ण
		अरुणाचल प्रदेश	2	बोमडिला	3340	
वित्त वर्ष 2018-19		मणिपुर	3	थौबल	2500	
			4	इम्फाल पूर्व	10000	
			5	बिश्नुपुर	4600	
वित्त वर्ष 2019-20		मणिपुर	6	छुरछंदपुर	2500	
वित्त वर्ष 2021-22		असम	7	जोनाई (धेमाजी)	20000	
वित्त वर्ष 2022-23		मणिपुर	8	तामेंगलांग	4730	
		अरुणाचल प्रदेश	9	आलो	1670	
		मेघालय	10	बाघमारा	2500	
वित्त वर्ष 2023-24		अरुणाचल प्रदेश	11	रोइंग	1120	
वित्त वर्ष 2025-26		असम	12	कोकराझार	15000	
वित्त वर्ष 2018-19	पूर्वोतर के अलावा	केरल	13	वेस्ट हिल	10000	
			14	अंगदिपुरम	5000	
		हिमाचल प्रदेश	15	कांगड़ा	3340	
वित्त वर्ष 2022-23		हिमाचल प्रदेश	16	पालमपुर	2240	
वित्त वर्ष 2023-24		हिमाचल प्रदेश	17	रिकांगपिओ	640	
वित्त वर्ष 2024-25		झारखंड	18	पोड़ैयाहाट	10000	
वित्त वर्ष 2025-26		झारखंड	19	दुमका चरण-II	10200	
			20	इटखोरी	10000	
कुल					**123970**	

उन स्थानों की सूची जहां भंडारण गोदाम निर्माणाधीन है

	अंचल (पूर्वोत्तर/पूर्वोत्तर के अलावा)	राज्य	क्र.सं.	स्थानों	क्षमता (टन में)	स्थिति और पूरा होने की संभावित तिथि
01.02.2026 तक की स्थिति	पूर्वोतर	असम	1	सिलचर	20000	कार्य प्रगति पर है /55% / 31.05.2026
		मिजोरम	2	सैरंग	10000	कार्य प्रगति पर है/ 80%/31.03.2026
* चंपाई में 3340 टन क्षमता वाले भंडारण गोदाम के निर्माण की परियोजना का स्थान छोड़ दिया गया है।						
01.02.2026 तक की स्थिति	पूर्वोतर के अलावा	हिमाचल प्रदेश	3	मंडी	3340	कार्य प्रगति पर है/ 60%/ 13.08.2026
कुल					**33340**	

अनुबंध X

लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3017 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमएस सेवाओं के साथ संपत्ति मुद्रीकरण			
क्रम संख्या	**राज्य**	**साइट**	**जिस क्षमता के लिए टेंडर निकाला गया (टन में)**
1	जम्मू एवं कश्मीर	एफएसडी पुंछ	**2,500**
2	जम्मू एवं कश्मीर	एफएसडी किश्तवाड़	**1,670**
3	जम्मू एवं कश्मीर	एफएसडी कठुआ	**5,000**
4	उत्तराखंड	एफएसडी बाजपुर	**12500**
5	उत्तर प्रदेश	कबरई महोबा	**6680**
6	उत्तर प्रदेश	एफएसडी बस्ती	**8340**
7	पंजाब	एफएसडी भागसर	**9470**
8	गुजरात	एफएसडी डारेड	**20,000**
9	कर्नाटक	एफएसडी बोम्मापुर	**40000**
10	कर्नाटक	एफएसडी तवरेकोप्पा	**28340**
11	कर्नाटक	एफएसडी रायचूर	**50000**
12	कर्नाटक	एफएसडी बेल्लारी	**50000**
13	कर्नाटक	एफएसडी कुशलनगर	**4620**
14	तमिलनाडु	एफएसडी चिदंबरम	**8350**
15	आंध्र प्रदेश	एफसीआई, बीएससी, हनुमान जंक्शन	**70992**
16	तेलंगाना	एफसीआई, बीएससी, नलगोंडा	**35000**
17	तेलंगाना	एफसीआई, एफएसडी, दिचपल्ली	**40000**
18	**असम**	**एफएसडी नारायणपुर**	**10,000**
19	**असम**	**एफएसडी अर्चिपाथर**	**13,360**
कुल			**416,822**

अनुबंध **XI**

लोक सभा में दिनांक **11.03.2026** को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. **3017** के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमएस सेवाओं के बिना संपत्ति मुद्रीकरण

क्र.सं.	राज्य	साइट	जिस क्षमता के लिए टेंडर निकाला गया (टन में)
1	**जम्मू एवं कश्मीर**	**एफएसडी बारामूला**	1670
2	उत्तराखंड	एफएसडी रुद्रपुर	8,340
3	हरियाणा	एफसीआई एफएसडी डबवाली	2,500
4	हरियाणा	एफसीआई एफएसडी भट्टू	2,100
5	हरियाणा	सीएपी पानीपत, बीजी पानीपत	3,340
6	हरियाणा	बी.जी. ढांड	8,940
7	हरियाणा	बीजी कुरुक्षेत्र	6,440
8	हरियाणा	एफएसडी कुरुक्षेत्र	2,500
9	हरियाणा	बीजी सिरसा	5,000
10	हरियाणा	बीजी नरवाना	6,680
11	उत्तर प्रदेश	एफएसडी ओराई	4,170
12	उत्तर प्रदेश	एफएसडी व्यासनगर	1670
13	उत्तर प्रदेश	एफएसडी रायबरेली मसोधा	11680
14	उत्तर प्रदेश	एफएसडी बाराबंकी न्यू	20590
15	उत्तर प्रदेश	एफएसडी नैनी	10020
16	उत्तर प्रदेश	एफएसडी गोरखपुर	5000
17	उत्तर प्रदेश	एफएसडी पडरौना	2500
18	उत्तर प्रदेश	एफएसडी आगरा कैंट	2920
19	उत्तर प्रदेश	एफएसडी हरदुआगंज	22940
20	पंजाब	रय्या	2,500
21	पंजाब	जंडियाला	2,500
22	पंजाब	एफएसडी बठिंडा	3,920
23	पंजाब	एफएसडी कोटकपूरा	5,030
24	पंजाब	बीजी कोटकपूरा	15,000
25	पंजाब	एफएसडी बटाला-I	3,360
26	पंजाब	एफएसडी धारीवाल	2,240
27	पंजाब	एफएसडी गुरदासपुर	2,500

28	पंजाब	एफएसडी-नसराला	2,500
29	पंजाब	बीजी टांडा	36,680
30	पंजाब	एफएसडी फगवाड़ा	2,500
31	पंजाब	एफएसडी-मोगा + साइलो	2,240
32	पंजाब	एफएसडी नाभा	3,430
33	पंजाब	एफएसडी न्यू राजपुरा	10,000
34	पंजाब	एफएसडी, वल्लाह	1,680
35	पंजाब	एफएसडी नौशहर	2,240
36	पंजाब	एफएसओ नवांशहर III	1,820
37	पंजाब	एफएसडी कपूरथला (ओल्ड)	2,660
38	पंजाब	भोलाथ	1,680
39	पंजाब	फाजिल्का	1,670
40	पंजाब	कुराली	1,680
41	पंजाब	पटियाला बफर	24,160
42	पंजाब	भवानीगढ़	2,530
43	पंजाब	धुरी (बफर)	2,530
44	पंजाब	खनौरी	1,670
45	पंजाब	बरनाला-I	3,340
46	बिहार	एफएसडी नारायणपुर अनंत	4,590
47	ओडिशा	हीराकुड	5000
48	छत्तीसगढ़	एफएसडी दुर्ग	2,310
49	छत्तीसगढ़	एफएसडी अर्जुनी	1,120
50	महाराष्ट्र	एफएसडी भिवंडी	5000
51	कर्नाटक	एफएसडी मद्दुर	1,670
52	आंध्र प्रदेश	एफसीआई बीएससी-पेन्नाडा	31,320
कुल			322,070

अनुबंध-XII

लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3017 के भाग (ङ.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

परिसंपत्ति मुद्रीकरण चरण-II के संबंध में निविदा की स्थिति				
क्र. सं.	क्षेत्र	स्थान	योजना	क्षमता जिसके लिए निविदा जारी की गई (टन में)
1	केरल	एफएसडी कझाकुट्टम तिरुवनंतपुरम	गैर- पीएमएस	3,340
2		एफएसडी मवेलिक्कारा अलप्पुझा	गैर- पीएमएस	5,000
3		एफएसडी अंगमाली एर्नाकुलम	गैर- पीएमएस	2,500
4		एफएसडी मुलकुन्नाथुकावु थ्रिस	गैर- पीएमएस	5,000
5		एफएसडी ओलावक्कोड पलक्कड़	गैर- पीएमएस	2,500
6		एफएसडी पय्यन्नूर कन्नूर	गैर- पीएमएस	6,680
7	तामिल तमिलनाडु	एफएसडी पीलमेडु	गैर- पीएमएस	26,700
8		एफएसडी अवादी	यंत्रीकृत	12000
9	कर्नाटक	एफएसडी कोप्पल	गैर- पीएमएस	10,000
10		एफएसडी अंकल		1,120
11		एफएसडी बेलगावी		3,360
12		एफएसडी विजयपुरा		11,670
13		एफएसडी उडुपी		10,020
14		बीएससी व्हाइटफील्ड	पीएमएस	18,000
15		एफएसडी नजंगुड	गैर- पीएमएस	4,460
16		एफएसडी केआर पुरम		2,230
17		एफएसडी के आर नगर		9,740
18	तेलंगाना	बीएससी जम्मीकुंटा	गैर- पीएमएस	35,000
19		बीएससी मिर्यालगुडा	गैर- पीएमएस	20,000
20	आंध्र प्रदेश	एमडी विजाग	गैर- पीएमएस	5,000
	कुल			
				1,94,320